

भाग—V

(इस वन विभाग के प्रभारी, सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18-	राज्य सरकार की सिफारिश..... (उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणी पर विशिष्ट टिप्पणी की जायें)	
-----	--	--

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर:-

नाम:-

सरकारी मोहर:-